शीर्ष प्राथमिकता

संख्या-49/2015/2028/52-1-15-01(98)/13

प्रेषक,

जय प्रकाश पाण्डेय,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,

इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक 30 जून, 2015

विषय एम०एस०डी०पी० के अन्तर्गत प्रदेश के 48 जनपदों के विकास खण्डों में ब्लाक लेबिल फैसिलीटेटर की तैनाती के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-जी०आई० 59/52-1-2015-01-(98)/13, दिनांक 16.03.2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से एम०एस०डी०पी० के अन्तर्गत प्रदेश के 48 जनपदों के विकास खण्डों में ब्लाक लेबिल फैसिलीटेटर की तैनाती के सम्बन्ध में तैनाती हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं ।

2- उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में ब्लाक लेबिल फैसिलीटेटर की तैनाती हेतु भारत सरकार के पत्र संख्या-3/60/2013-पी०पी०, दिनांक 08.07.2014 के माध्यम से रू० 2,83,56,000/- (रू० दो करोड़ तिरासी लाख छप्पन हजार मात्र) योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में उपलब्ध बचतों से संलग्न **प्रपत्र-बी0एम0-09** के अनुरूप पुनर्विनियोग द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 **283.56** लाख अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1- उपरोक्त धनराशि को सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखते हुए उनके माध्यम से ब्लाक लेबिल फैसिलीटेटर की तैनाती के सत्यापनोपरान्त उन पर आने वाले व्यय हेतु उपयोग किया जायेगा।

2- प्रश्नगत धनराशि के व्यय हेतु भारत सरकार एवं वित्त विभाग/शासन के संगत शासनादेशों/नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं यथावश्यक अनुमोदन प्राप्त कर धनराशि व्यय की जायेगी।

3- धनराशि के व्यय हेतु शासनादेश संख्या-जी०आई० 59/52-1-2015-01-(98)/13, दिनांक 16.03.2015 में इंगित शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए तद्नुसार ही भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

4- सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा भुगतान से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उनके जनपद के सम्बन्धित ब्लाक में तैनात ब्लाक लेबिल फैसिलीटेटर समुचित रूप से कार्य का निष्पादन कर रहे हैं।

http://shiksharthi.up.nic.in

5- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-48 के **लेखा शीर्षक-2235** -सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें- के अन्तर्गत **0104-एम०एस०डी०पी० योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक बाहुल्य विकास खण्डों में फैसिलीटेटर की नियुक्ति -** 16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान-42-अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा। यह धनराशि "लेखा शीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-**0104-अल्पसंख्यक समुदाय के युवक-युवतियों को कौशल विकास एवं रोजगार परक प्रशिक्षण (के0 100 प्रतिशत)"** मद में प्राविधानित धनराशि से पुनर्विनियोग कर की जायेगी।

6- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी0-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22-07-2014 में निहित प्राविधानों के अनुसार जारी किया जा रहा है।

संलग्नक-प्रपत्र-बी0एम0-9 (भाग-1)

भवदीय,

(जय प्रकाश पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

संख्या-1405(1)/बावन-1-2015तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-11 को 01 प्रति।
6- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आश्य से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
7- सम्बन्धित जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य कुमार)
अनु सचिव।

http://sirisnadesh.up.nic.in

Unicode Polytechnic G.O